311

संख्या – 26/XV-3-2016/01(12)/2004

प्रेषक,

जी०बी० ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड–देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादून, दिनांक : 18 जनवरी, 2016**

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु शतप्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित योजना डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1205/डा0बे0यो0/2015–16 दिनांक 16.11.2015 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01.04.2015 एवं संख्या-1336/XXVII(1)/2015, दिनांक 17.11.2015 में दिये गये दिशानिर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–34-11(2)/2008-FY(S) दिनांक 23.12.2015 द्वारा 100 प्रतिशत योजना डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वर्ष 2014–15 की अप्रयुक्त धनराशि ₹1,32,950.00 के पुर्नवैधीकरण की सहमति प्रदान की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजना में पुनर्वैध धनराशि ₹1,32,950.00 **(एक लाख बत्तीस हजार नौ सौ पचास मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखने तथा इसे आहरण कर निम्न मद यथा वेतन एवं यात्रा–भत्तों पर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित प्रतिमाह की 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
4. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय सम्बन्धी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नाम्स के अनुसार किया जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....

6. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

3– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली का सशक्तीकरण–42–अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1336/XXVII(1)/2015, दिनांक 17.11.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी०बी० ओली)
अपर सचिव

संख्या : 26 (1)/XV-3/01(212/2004(मत्स्य) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ अफसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव